Title: Regarding railway facilities to Ex-Members of Parliament.

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): अध्यक्ष जी, पूर्व सांसदों को जो रेलवे की सुविधा दी जा रही थी वह आज से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, उनकी सुविधा बहाल की जानी चाहिए।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) ... (Not recorded)
MR. SPEAKER: Shri Mohan Singh, there is one observation from the Chair.
... (Interruptions)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष जी, इस तरह की जो सुविधा दी जा रही थी वह हाईकोर्ट ने अपने निर्णय से खारिज कर दी है, वह भी तब जब इस सदन में हाईकोर्ट की सैलरीज को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

... (व्यवधान)

यह निहायत निंदनीय है।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, इसमें दो पक्ष हैं। एक जो आपने उठाया है, जिसके बारे में आपने निर्णय करना है। कोर्ट के निर्णय के बारे में, आपके आदेश के कारण था या क्या था, यह तो आप देख लें। वह तो पक्ष दूसरा है। जो एक्स एम.पीज. के बारे में फैसला हुआ है, तो मेरी अभी रेल मंत्री जी से बात हुई है। भत्ते आदि के बारे में जो बिल मैं लाया था उसमें एक कमी पती-पत्नी का फर्सट-क्लॉस ए.सी. के बारे में रह गयी थी। वह कैबिनेट में मैंने भेजा है। उसे पास होते ही मैं हाउस में लाऊंगा। अभी रेल मंत्री ने मुझसे कहा है और मैंने एग्री कर लिया है कि वह जो भत्ते आदि के बारे में संशोधन बिल आयेगा, उसके अंदर हम इसे भी डाल देंगे जिससे यह कानून बन जाए और किसी के ऊपर हमें निर्भर न रहना पड़े।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, please. Hon. Members, the Minister has replied categorically.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. What is this?
... (Interruptions)

SHRI P. SHIV SHANKER (TENALI): Having said this, I would like to advert the attention of the hon. House for what has been said a little earlier. Sir, I am not aware as to on what ground the Allahabad High Court has decided that the railway pass that was given to the former MPs stands nullified. The Railway Minister is here. I am sure his Ministry might have defended the case on proper merits. Though the hon. Parliamentary Affairs Minister has assured us that he would include it in the Bill, how does he give this impression to the House that he will include it? I do not know if it has been struck down on the basis of discrimination violative of Article 14 of the Constitution. What I am worried is that the order will have to be considered in proper perspective.
It is not known whether there has been a proper defence on the part of the Government and whether all the issues have been properly put forth before the High Court.
Even the other day, I was saying with reference to Kerala High Court also. The same thing seems to have happened. I have reports from Kerala that the Government has defended itself in a shabby manner. I am telling you this because one of the grounds that the High Court have put in is that the names of all the beneficiaries of gas connections should be properly and adequately advertised. Who is going to advertise these names? We give gas connection to whoever comes. Who is going to publish their names? On this matter at least, why does he not ask for the review of that order? He has just read out what the conditions are, but he did not tell us about what steps he has taken to alleviate our miseries. We have got to give connections to people. Some poor people come to us and ask for connections and we give them. Are we expected to adequately publish it in the newspapers?

How are we going to obey this order? Why does he not take up this matter with the High Court and say that this matter deserves to be reviewed.
Equally, I would submit that I do not know on what grounds this order of the Allahabad High Court has been passed. That matter has not become clear. Therefore, he should plug those grounds by a proper and appropriate law so that this situation does not create a problem for us. This is what I am requesting of him.

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय सदस्य द्वारा बाद में कही गई बात के बारे में बिलकुल साफ कह दूं कि हाईकोर्ट ने क्या आर्डर दिया है, उसको यह सदन मानने वाला नहीं है। जो आर्डर स्पीकर देंगे, उसको यह सदन मानेगा। अध्यक्ष महोदय आपकी जो गाइड लाइन होंगी, उनको यह सदन मानेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोगों ने, ८ तारीख को बैठक की थी। चाहे कोर्ट का फैसला आता या नहीं, उसकी प्रतीक्षा किए बिना, अध्यक्ष महोदय तय करके इस बारे में घोषणा करने वाले थे, लेकिन तब तक फैसला आ गया।

आपने जो बात कही है कि कोर्ट हर चीज के अंदर कुछ भी कह देती है। ... (व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : आप जो कानून बनाते हैं, कोर्ट उनको भी रद्द कर सकती है। इसलिए आप जो भी बात कहें, वह रेस्पांसिबिलिटी से कहिए।

... (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुरानाः आपने जो उनके दिशा निर्देश की बात कही है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। बाकी के जो उनके निर्देश हैं, वे तो पहले से ही स्पीकर के निर्देश थे। उसमें तो कोई बात नई नहीं कही है। सिर्फ एक ही पाइंट था कि इसको पब्लीशाइज किया जाए।

श्री पी. शिव शंकर : आप इसको रिव्यू कीजिए। कौन पब्लिश करेगा?

श्री मदन लाल खुरानाः एक बात आपने यह कही कि हमने वहां केस को ठीक प्रकार से प्लीड नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। हमने वहां एडीशनल एटार्नी जनरल को भेजा। ... (व्यवधान)

DR. SUBRAMANIAN SWAMY : There is no post called Additional Attorney-General. We do not know of it. What is this post he is talking about?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसदों को रेलवे यात्रा की जो सहूलियत मिली हुई है वह रेल मंत्रालय के आदेश पर मिली हुई है। वह संसद के किसी कानून के तहत नहीं मिली थी।

... (व्यवधान)

हमको अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, ताकि स्थिति पूरे तौर पर स्पष्ट हो जाए और किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसदों को रेल यात्रा की जो सहूलियत दी गई थी वह रेल मंत्रालय के आदेश से दी गई थी। इसमें संसद का कोई कानून या फैसला नहीं था।

... (व्यवधान)

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : लेकिन बजट में उसका प्रावधान था।

श्री नीतीश कुमारः अध्यक्ष महोदय, वह एक कंप्लीमेंट्री सुविधा दी गई थी। वह सुविधा एक कंप्लीमेंट्री पास के तौर पर दी गई थी। उसके बारे में हाइकोर्ट ने कोई फैसला दिया है जिसकी चर्चा अभी सदन में हुई है। मैं व्यक्तिगतरूप से अभी उस फैसले को नहीं देख पाया हूं। जब तक मैं उस निर्णय को पढ़ न लूं और उस पर मंत्रालय से चर्चा करके मंत्रालय की राय न जान लूं, तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है।

उसके बाद ही हम उस पर कोई बात कह सकते हैं। मैंने स्थिति सपष्ट कर दी है। जहां तक संसद के कानून बनाने का सवाल है तो संसद सर्वोपरि है। वह कानून बना सकती है और कानून बनाने में कोई रुकावट नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सांसदों की सुविधा जो उनके स्पाउज को लेकर है, उनको भी यात्रा में फर्सट ए.सी. की सुविधा मिले, उसके संबंध में वे एक संशोधन लाना चाहते हैं। इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने यही कहा कि जब वह संशोधन लायेंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले सुझाव दिया था कि पूर्व सांसदों को भी कई प्रकार की सहूलियतें कानून के जरिये दी जा रही हैं जैसे उनकी पेंशन और इलाज वगैरह की सहूलियतें हैं, वे कानून के जरिये उनको दी जा रही हैं। उसी तरह से यात्रा की सुविधा के बारे में आप कानून बनाकर उनको सहूलियत प्रदान कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने उनसे आग्रह किया है लेकिन कोर्ट का क्या आदेश है,

किस आधार पर उन्होंने इसको बंद किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। उसको देखकर ही जो उचित टिप्पणी देनी होगी, मैं संसदीय कार्य मंत्री मंत्री को दे दूंगा।